

आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री विजय पाल राव, न्यायिक सदस्य तथा
श्री बी.एम. बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 425 तथा 426/इंदौर/2023

निर्धारण वर्ष : 2012-13

आयकर अधिकारी, वार्ड-1(4), इंदौर	बनाम	राजेन्द्र अग्रवाल 158, ब्रजेश्वरी एक्सटेंशन, पिपल्याहाना, इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एबीक्यूपीए 0315 डी PAN- ABQPA0315D		
राजस्व की ओर से	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि	
निर्धारिती की ओर से	सुश्री श्रेया जैन, सीए	
सुनवाई तिथि	25.09.2024	
उद्घोषणा तिथि	25.09.2024	

आदेश

श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2012-13 से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271(1)(सी) तथा 143(3)/147 के अधीन राजस्व द्वारा दाखिल ये अपीलें विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, दिल्ली के अलग-अलग आदेशों क्रमशः दिनांक 11.09.2023 तथा 06.09.2023 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर निदेशित हैं।

2. सुनवाई के दौरान, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी नवीनतम परिपत्र सं. 9/2024 दिनांक 17.09.2024 की ओर आकर्षित किया जिसके द्वारा विभाग द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल करने हेतु अंतर्ग्रस्त विनिहित कर सीमा को संशोधित कर 60 लाख किया गया है। साथ ही उपरोक्त परिपत्र के परिच्छेद सं. 4 के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा 268 ए के अधीन दी गई शक्तियों के

अनुपालन में अधिकरण के समक्ष विभाग द्वारा कोई अपील दाखिल नहीं की जानी चाहिए यदि कर प्रभाव रु. 60 लाख से अधिक नहीं है। इसके अतिरिक्त इस परिपत्र के परिच्छेद 5, जो निम्न रूप से उद्धृत है, में यह उल्लिखित है कि यह अनुदेश लंबित अपीलों पर भी लागू होगा-

" यह संशोधन इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से लागू होगा। यह परिपत्र इसके आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय / अधिकरण के समक्ष दाखिल एसएलपी/अपीलों पर लागू होगा। यह सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय / अधिकरण के समक्ष लंबित एसएलपी/अपीलों पर भी लागू होगा जिन्हें तदनुसार वापिस लिया लिया जाए। "

4. निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वर्तमान अपीलों में कर प्रभाव विनिहित सीमा से कम है एवं ये प्रकरण अपवाद खंड (Exemption Clause) के अधीन भी नहीं आते हैं। अतः सी.बी.डी.टी द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 17.09.2024 की दृष्टि में विभाग द्वारा दाखिल ये अपीलें खारिज करने योग्य हैं।

5. विद्वान विभागीय प्रतिनिधि अभिलेख पर कोई प्रतिकूल सामग्री लाकर उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सकें।

6. हमने दोनों ओर के विद्वान प्रतिनिधियों के निवेदनों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है। हमने पाया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा परिपत्र सं. 9/2024 दिनांक 17.09.2024 के द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल करने हेतु अंतर्ग्रस्त विनिहित कर सीमा को संशोधित कर 60 लाख किया गया है। हमने पाया कि आक्षेपित प्रकरण में विवादाधीन मुद्दों में कर प्रभाव क्रमशः रु. 50,50,930/- तथा रु. 50,50,610/- है जो सीबीडीटी द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल करने हेतु विनिहित सीमा रु. 60 लाख से कम है। अतः परिपत्र के अनुसार राजस्व को इन अपीलों पर दबाव डालना अपेक्षित नहीं है। तदनुसार, विभाग द्वारा दाखिल वर्तमान अपीलें खारिज करने योग्य हैं। अतः, हम राजस्व द्वारा दाखिल अपीलों को प्रकरण के गुणागुण पर विचार किए बिना आरंभतः खारिज करते हैं। यद्यपि, न्यायोचित दृष्टि से यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है

कि राजस्व विविध आवेदन (एमए) दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है यदि ये प्रकरण अपवाद खंड (exception clause) के अधीन आते हैं ।

7. परिणामतः, राजस्व की अपीलें खारिज की जाती है ।

यह आदेश 25.09.2024 को सुनवाई के पश्चात खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है तथा तत्पश्चात लिखित आदेश पारित किया गया ।

हस्ता/-
(विजय पाल राव)
न्यायिक सदस्य

हस्ता/-
(बी.एम. बियाणी)
लेखा सदस्य

दिनांक : 25.09.2024

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि,
गार्ड फ़ाइल